'पब्लिश इन इंडिया' की संभावित रूपरेखा एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण
एक समीक्षा

अखिलेश कुमार*
प्रवीण कुमार तिवारी**
रजनी रंजन सिंह***

शोध में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में गुणवत्ताविहीन 'शिकारी पत्रिकाओं' पर नियंत्रण इसी का एक भाग है। भारत में शिकारी पत्रिकाओं एवं गुणवत्ता विहीन शोध प्रकाशनों पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची केयर लिस्ट के नाम से जारी की गई है। जिसमें हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं की संख्या बहुत कम है। इस लेख में भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों को बढ़ावा देने हेतु 'पब्लिश इन इंडिया' की संभावित रूपरेखा सुझाई गई है, जिसमें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं हेतु 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तंत्र का विकास, भारतीय भाषाओं एवं हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साईटेशन ट्रैकिंग के लिए भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी का विकास, विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, भारतीय लेखकों के लिए 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य किया जाना, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु प्रभावी तंत्र का विकास, विश्वविद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन को अनिवार्य किया जाना आदि शामिल हैं। एक भारतीय शोधार्थी को भारत में, भारतीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रकाशन के अवसर उपलब्ध होंगे तब स्वतः ही शिकारी पत्रिकाओं का विकास रुक जाएगा। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के प्रयासों के अनुरूप 'पब्लिश इन इंडिया' की व्यापक रणनीति पर शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

वर्तमान समय में वैज्ञानिक तकनीक एवं सामाजिक जीवन में जो प्रगति हुई है, उसने मानव जीवन को सरल व सुगम बनाया है, जो सतत अनुसंधान की देन है। कोविड-19 महामारी को एक समसामयिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस महामारी से उत्पन्न सभी समस्याओं आदि का टीके व दवाइयों से लेकर शिक्षा तक का समाधान अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। शिक्षा को सुचारु रूप से विद्यार्थियों तक

* *असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324010
** *एसोसिएट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243006
*** *प्रोफेसर, शिक्षा*, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017

© NCERT not to be republished

उपकरणों एवं शैक्षिक एप्लीकेशन (ऐप) का प्रयोग करके ऑनलाइन माध्यम द्वारा पहुँचाने का श्रेय भी वैज्ञानिक अनुसंधानों को जाता है।

शिक्षा के विविध क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्यरत अध्यापकों तथा प्राध्यापकों द्वारा सतत अनुसंधान करना एवं अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन करना आवश्यक है। तभी वे स्वयं को अद्यतन रख सकेंगे तथा शोध से प्राप्त परिणामों से सामान्य जन को लाभ पहुँचा सकेंगे। इस हेतु शोधार्थी अपने शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं। अध्यापकों एवं प्राध्यापकों से भी शोध अध्ययन करने तथा शोध पत्रों का प्रकाशन अपेक्षित है।

उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुसंधान के प्रति अभिवृत्ति एवं अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देना, अनुसंधान के लिए प्रेरित करना एवं अनुसंधान के परिणामों को दैनिक मानव जीवन से जोड़कर मानवता के हित में कार्य करना है। शोध का महत्व तभी है जब उस शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को उस विषय के हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाए। इन अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों के व्यापक विस्तार हेतु शोध पत्र के रूप में विभिन्न गुणवत्तापूर्ण विषय विशेष की अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशन करना भी आवश्यक है। अनुसंधान पत्रिकाएँ, सामान्य पत्रिकाओं से अलग होती हैं, इनमें प्रकाशन से पूर्व किसी भी शोध पत्र को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें आरंभिक सम्पादकीय जाँच, साहित्यिक नकल की जाँच, विषयवस्तु की प्रामाणिकता, भाषा एवं व्याकरण की जाँच के साथ-साथ समकक्ष व्यक्ति समीक्षा जैसी प्रक्रियाओं पर खरा उतरने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है। शोध पत्रों की गुणवत्ता के निर्धारण की प्रकाशन-पूर्व प्रक्रिया में 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' (पीयर रिव्यू) अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपरागत तरीके से प्रचलित 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' की व्यवस्था को समस्त शैक्षिक समुदाय एक मत से स्वीकार करता है। आधुनिक युग में 'प्रकाशन पश्चात् समीक्षा (पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू) भी लोकप्रिय हुई है। 'समकक्ष-व्यक्ति समीक्षा' चाहे वह प्रकाशन-पूर्व हो अथवा प्रकाशन के पश्चात, किसी भी शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

विगत कुछ दशकों में विशेषकर सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के दौर में परंपरागत प्रिंट मीडिया आधारित शोध पत्रिकाओं के स्थान पर ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी है, क्योंकि ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, संरक्षण, तीव्र गति से शेयरिंग (साझाकरण) तथा कागज की बचत से होने वाले पर्यावरण संरक्षण के अलावा अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। इंटरनेट एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित ऑनलाइन शोध पत्रिकाएँ लोकप्रिय हो रही हैं, परंतु ऑनलाइन माध्यम से शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन में गुणवत्ताविहीन शोध पत्रिकाओं की संख्या में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की शोध पत्रिकाओं को शिक्षाविदों ने 'शिकारी शोध पत्रिका' (प्रेडेटरी जर्नल) का नाम दिया है। (अखिलेश, 2020) वर्तमान समय में शिक्षाविद् बिना किसी 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' के, गुणवत्ताविहीन शोध पत्रों को प्रकाशित करने वाली

© NCERT not to be republished

इन 'शिकारी शोध पत्रिकाओं' के बढ़ते प्रभावों से चिंतित हैं। शिकारी शोध पत्रिकाओं पर चर्चा लगभग एक दशक पूर्व (2010 से) तब आरंभ हुई जब कोलोराडो डेनवर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन जेफ्रे बिआल ने उनकी वेबसाइट पर गुणवत्ताविहीन प्रकाशनों तथा प्रकाशकों की सूची अपलोड की, जो वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया के पालन का दावा तो करते हैं, परंतु वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन-पूर्व की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। शिकारी पत्रिका (प्रेडेटरी जर्नल) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया एवं अपने अध्ययनों के आधार पर शिकारी पत्रिकाओं की सूची भी बनाई (बिआल, 2017; कार्टराईट, 2016; क्लार्क एवं स्मिथ, 2015; क्लेमन एवं अन्य, 2017; मानका एवं अन्य, 2018; मास्टन एवं ऐशक्राफ्ट, 2016; नरिमानी एवं डादका, 2017; शमशीर एवं अन्य, 2017; श्याम, 2015; जिया, 2015)। हालाँकि कानूनी जटिलताओं के कारण बाद के वर्षों में बिआल को शिकारी पत्रिकाओं की सूची वेबसाइट से हटानी पड़ी, परंतु इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि संपूर्ण विश्व का ध्यान गुणवत्ताविहीन पत्रिकाओं की ओर गया एवं इस प्रकार के प्रकाशनों को हतोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने लगे।

यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि शिकारी पत्रिकाओं की कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध न होने के बावजूद संपूर्ण शैक्षिक समुदाय इनके बढ़ते प्रभावों से चिंतित है एवं कई राष्ट्रों ने शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची प्रकाशित की है एवं तदनुसार नीति तैयार की है। हमारे देश में शिकारी पत्रिकाओं के बढ़ते जाल को नियंत्रित करने एवं शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वप्रथम गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की एक सूची जारी की, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की अनुशंसा पर आधारित थी। परंतु इस सूची में यह देखा गया कि कई कथित 'शिकारी पत्रिकाएँ' अथवा 'अल्प गुणवत्ता युक्त शोध पत्रिकाएँ' सम्मिलित कर ली गईं हैं। अत: पुन: इसकी समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2019 में एक समिति बनाई एवं उसी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर यू.जी.सी द्वारा यू.जी.सी. केयर लिस्ट तैयार की गई। जिसने आरंभ में लगभग 4000 कथित शिकारी पत्रिकाओं को यू.जी.सी द्वारा पूर्व में जारी सूची से बाहर कर दिया (पटवर्द्धन, 2019)। शिकारी पत्रिकाएँ पिछले दशकों में भारत सहित संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हुई हैं कुक (2017)। के शोध अध्ययन में पाया गया कि 2013 से 2017 के बीच शिकारी पत्रिकाओं की कुल संख्या में 700 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। मात्र पाँच वर्षों में शिकारी पत्रिकाओं की संख्या में सात गुना वृद्धि वास्तव में समस्त शैक्षिक समुदाय के लिए चिंताजनक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची एवं 'अकादमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (API)' अथवा 'शोध स्कोर (रिसर्च स्कोर)' के नियमों का आधार शोधार्थियों में शोध एवं पेशेवर क्षमता विकसित करना है, लेकिन इन नियमों का दुरुपयोग किया जाने लगा एवं शिकारी

© NCERT not to be republished

पत्रिकाएँ बड़ी संख्या में प्रकाशित होने लगीं (पटवर्धन, 2019)। यू.जी.सी. केयर लिस्ट जारी किए जाने के बाद शिकारी पत्रिकाओं पर थोड़ा नियंत्रण हुआ है, परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसका जितना फायदा भारतीय शोधार्थियों को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देने से संबंधित कोई नीति नहीं बनाई है। यू.जी.सी. केयर लिस्ट से बाहर की गई कई शोध पत्रिकाओं में 'अल्प-संसाधन युक्त' (अंडर रिसोर्सड) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएँ भी हैं, जिन्हें उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो तो वे गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिका हो सकती हैं। शिकारी पत्रिकाओं की कोई सर्वमान्य परिभाषा न होने के कारण अल्प संसाधन युक्त शोध पत्रिकाओं एवं शिकारी शोध पत्रिकाओं में अंतर करना अत्यंत कठिन है (ग्रुदनीविज एवं अन्य, 2019; मासटन एवं ऐशक्राफ्ट, 2016; पर्लिन एवं अन्य, 2018; रोबर्ट्स, 2016; रौस-वाइट एवं अन्य, 2019)। वस्तुतः सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं की 'केयर लिस्ट' जारी करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'पब्लिश इन इंडिया' से संबंधित पॉलिसी बनाने पर भी विचार करना चाहिए। ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं का अस्तित्व बनाए रखते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

'पब्लिश इन इंडिया' की संभावित रूपरेखा एवं इस हेतु किए जा सकने वाले नीतिगत परिवर्तन एवं सुझाव इस प्रकार हैं—

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तंत्र का विकास

हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की अद्वितीय पहचान के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' (DOI) की सुविधा आज तक किसी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। इस हेतु देश की अग्रणी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। ताकि वे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के शोध पत्रों के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' उपलब्ध कराने का तंत्र विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करें। इस प्रकार के तंत्र से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साइटेशन ट्रैकिंग एवं उनका संरक्षण आसानी से हो सकेगा और वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेंगे।

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साइटेशन ट्रैकिंग एवं 'भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी' का विकास

आज भारतवर्ष की समस्त नियुक्ति प्रदाता संस्थाओं में रायटर थॉमसन द्वारा निर्धारित इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माना जाता है जिसे केयर लिस्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जबकि रायटर थॉमसन के इम्पैक्ट फैक्टर का मुख्य उद्देश्य शोध पत्रिकाओं की लोकप्रियता का अनुमान लगाना था। यह चिंता का विषय है कि भारत जैसे उच्च शिक्षा में अग्रणी राष्ट्र में आज तक भारतीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर के

© NCERT not to be republished

निर्धारण का सिस्टम क्यों विकसित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस क्षेत्र में विचार कर तकनीकी संस्थानों की सहायता से इम्पैक्ट फैक्टर हेतु सिस्टम विकसित करना चाहिए।

विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं या विभागों द्वारा कम-से-कम एक हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में शोध-पत्रिका का प्रकाशन अनिवार्य करना

भारत में लगभग 1000 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान होने के बावजूद अधिकांश संस्थाएँ शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं करती हैं। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे एक निर्धारित संख्या में विभिन्न शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करें ताकि भारत में प्रकाशन के अवसर उपलब्ध हों एवं भारतीय शोधार्थियों को अपने शोध पत्र भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का अवसर मिल सके। उदाहरण के लिए, यदि इन 1000 विश्वविद्यालयों के कम-से-कम दो विभागों द्वारा भी एक प्रमाणिक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जाए तो यह संख्या 2000 शोध पत्रिकाओं की हो सकती है, जो भारत में प्रकाशन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त होगी।

विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन

भारतीय उच्च शिक्षा के सुचारु संचालन के लिए कई संवैधानिक निकाय यथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) आदि हैं जो अपने क्षेत्र में प्रमाणिक शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित कर सकती हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक निकायों द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया भी जा रहा है, परंतु उन्हें भी नियमित एवं ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

भारतीय जर्नलों में प्रकाशन के इच्छुक समस्त शोधार्थियों एवं अध्यापकों के लिए 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य किया जाना

वैश्विक स्तर पर अधिकांश शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु ऑर्किड (Open Researcher and Contributor ID or ORCID) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु लेखकों एवं शोधार्थियों के लिए इनफ्लीबनेट केंद्र द्वारा विकसित 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य की जानी चाहिए। ताकि लेखक एवं शोधार्थी की शैक्षिक पहचान सुलभ हो सके। इनफ्लीबनेट केंद्र द्वारा विकसित 'विद्वान पोर्टल' ऑर्किड से ज्यादा व्यापक एवं उसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही शोध पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु स्वायत्त निकाय एवं इनके लिए शोध पत्रों के फॉर्मेट एवं मानकों का निर्धारण

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण स्कूपस, रॉयटर थॉमसन जैसी इंडेक्सिंग एजेंसियाँ लोकप्रिय हुई हैं, जो मूलतः अंग्रेजी एवं अन्य पाश्चात्य भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारित करती हैं। ऐसे में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही शोध-पत्रिकाओं का कोई 'इम्पैक्ट फैक्टर' उपलब्ध

© NCERT not to be republished

नहीं है। इस कारण भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती है। उदहारणस्वरूप, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित की जा रही शोध पत्रिकाओं का कोई इम्पैक्ट फैक्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि इन पत्रिकाओं में प्रकाशन-पूर्व समस्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। भारतीय भाषाओं की शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाने वाले शोध पत्रों के लिए तकनीकी मानक, फॉर्मेट, संदर्भ ग्रंथ सूची लेखन के समरूप मानक आदि तैयार करना आवश्यक है। इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को साइटेशन ट्रैकिंग एवं इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु भारतीय सिस्टम विकसित करना होगा, जिससे भारत में शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रमाणिक अवसर बढ़ेंगे। इससे भारतीय भाषा में प्रभावी संप्रेषण रखने वाला शोधार्थी भी गर्व से बता सकेगा कि उसके हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में लिखे एवं प्रकाशित शोध पत्र कितने इम्पैक्ट फैक्टर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'पब्लिश इन इंडिया' से संबंधित पॉलिसी या अधिनियम बनाने पर विचार करना चाहिए जो शैक्षिक समुदाय में भारत को आगे ले जाने का कार्य करें। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उल्लेख किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा एवं शिक्षा को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के हर संभव प्रयास किए जाएँगे। इस कड़ी में स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। जब *राष्ट्र की शिक्षा नीति 2020* स्थानीय भाषाओं एवं संस्कृति के ज्ञान पर केंद्रित है, तब स्थानीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं को बढ़ावा देना *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुकूल होगा।

भारतीय भाषाओं की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पत्रिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाना

वर्तमान समय में यू.जी.सी. केयर लिस्ट में भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं की संख्या कम अथवा नगण्य है। इस हेतु शोधार्थी द्वारा जब यू.जी.सी. केयर की वेबसाइट https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index समूह 1 (यू.जी.सी. केयर 2021) के सर्च विकल्प में भाषा के क्षेत्र में हिंदी 'की-वर्ड' लिख कर देखा गया तो कुल 116 शोध पत्रिकाओं की सूची प्राप्त हुई। यह सूचना 24 जुलाई, 2021 को सायं 6.52 पर प्राप्त की गई। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इनमें से बड़ी संख्या में वे शोध पत्रिकाएँ थीं, जिनका सिर्फ प्रिंट आई.एस.एस.एन. नंबर है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं में सिर्फ प्रिंट आई.एस.एस.एन. नंबर की पत्रिकाओं की कुल संख्या 92 है, जो यू.जी.सी. केयर की सूची में शामिल हिंदी की प्रकाशनों का लगभग 80 प्रतिशत है। मात्र पाँच शोध पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जिनका सिफ ई-आई.एस.एस.एन. है। केयर पर उपलब्ध हिंदी शोध पत्रिकाओं में से मात्र चार प्रतिशत शोध पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जिनके प्रिंट आई.एस.एस.एन. नहीं थे, सिर्फ ई-आई.एस.एस.एन. थे; और मात्र तीन शोध पत्रिकाओं के प्रिंट आई.एस. एस.एन. एवं ई-आई.एस.एस.एन. प्राप्त हुए, जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग तीन प्रतिशत हिंदी शोध पत्रिकाएँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में प्रकाशित एवं प्रसारित की जा रही हैं, जो यू.जी.सी.

© NCERT not to be republished

केयर लिस्ट में शामिल हैं। सात पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जो बंद की जा चुकी हैं। प्रथम दृष्टया यह डेटा शोध की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के प्रयासों के प्रभाव की ओर इंगित करता है, परंतु इसका दूसरा पहलू इस बात का द्योतक है कि यू.जी.सी. केयर लिस्ट को और लचीला बनाने एवं उसमें किसी शोध पत्रिका के शामिल किए जाने के मानदंडों में बदलावों की सख्त आवश्यकता है। अन्यथा समय के साथ धीरे-धीरे हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाली शोध पत्रिकाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

वर्तमान में भारत में 'मेक इन इंडिया' की नीति पर कार्य चल रहा है। यह नीति एक अभियान के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों को सक्षम बनाने में सफल रही है। इससे भारत में कई राष्ट्रों ने अपनी औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित की हैं। इसी प्रकार 'पब्लिश इन इंडिया' की संभावनाओं एवं तत्संबंधित नीति निर्धारण पर शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए केयर लिस्ट एक प्रभावी कदम हो सकता है, परंतु शोध की एक स्वस्थ संस्कृति विकसित करने के लिए 'पब्लिश इन इंडिया' की नीति पर कार्य करना शोध प्रकाशनों के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि यू.जी.सी. द्वारा जारी गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं की सूची 'केयर लिस्ट' एक स्वागत योग्य कदम है एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी है, परंतु एक स्वस्थ शोध की संस्कृति के विकास के लिए भारतीय उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं को 'पब्लिश इन इंडिया' की दूरदर्शी नीति पर विचार करना चाहिए तथा शोधार्थियों को भारतीय भाषाओं में प्रकाशन के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भारतीय शोध-पत्रिकाओं हेतु DOI की संभावना, भारतीय भाषाओं एवं हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साईटेशन ट्रैकिंग के लिए भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी का विकास, विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखकों के लिए 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य करना जैसे कदम शामिल किए जा सकते हैं।

संदर्भ

कार्टराइट, वी. ए. 2016. आउथर्स बी अवेयर! द राइज ऑफ द प्रेडेटरी पब्लिशर्स. *क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ओप्थाल्मोलॉजी*. 44(8), पृष्ठ संख्या 666–668. https://doi.org/10.1111/ceo.12836, से प्राप्त किया गया है.

कुक, सी. 2017. प्रेडेटरी जर्नल्स— द वर्स्ट थिंग इन पब्लिशिंग, एवर. *जर्नल ऑफ ऑर्थोपोडिक एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी*. 47(1), पृष्ठ संख्या 1–2. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.2519/jospt.2017.0101 से प्राप्त किया गया है.

कुमार, अखिलेश. 2020. भारतीय उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं शिकारी पत्रिकाओं का फैलता जाल — एक समीक्षा. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष-41,अंक-2, अक्तूबर, पृष्ठ संख्या 49–57.

क्लार्क, जे., और आर. स्मिथ. 2015. फर्म एक्शन नीडेड अगेंस्ट प्रेडेटरी जर्नल्स. द *बीएमजे (ऑनलाइन)*. 350, पृष्ठ संख्या 14–16. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1136/bmj.h210 से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

क्लेमन्स, एम., डी कोस्टा इ सिल्वा, एम., जॉय, ए. ए., कोबे, के. डी., मजरेलो, एस., स्टोबर, सी., बी. हट्टन. 2017. प्रेडेटरी इन्विटेशंस फ्रॉम जर्नल्स— मोर देन ए न्यूसेन्स?. द *ओंकोलोजिस्ट*. 22 (2), पृष्ठ संख्या 236–240. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1634/theoncologist.2016-0371 से प्राप्त किया गया है.

ग्रुदनीविज, ए., मोहर, डी. और के. डी. कोबी. 2019. प्रेडेटरी जर्नल— नो डेफिनिशन, नो डिफेंस. *नेचर*. 576, 210–212, 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y से प्राप्त किया गया है.

जिया, जे. 2015. प्रेडेटरी जर्नल्स एंड देअर आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेज. *लर्न्ड पब्लिशिंग*. 28 (1), पृष्ठ संख्या 69–74. https://doi.org/10.1087/20150111 से प्राप्त किया गया है.

द *गार्जियन*. 2013. नोबल विनर डिक्लेयर बायकाट ऑफ टॉप साइंस जर्नल्स. https://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals से प्राप्त किया गया है.

नरीमनी, एम., और एम. डदका. 2017. प्रेडेटरी जर्नल्स एंड पेरिश्ड आर्टिकल; ए लैटर टू एडिटर. *एमरजेंसी*. 5(1), पृष्ठ संख्या 258–260. https://doi.org/10.22037/emergency.v5i1.12595 से प्राप्त किया गया है.

पटवर्धन, बी. 2017. इंडियन साइंस एंड प्रेडेटरी जर्नल्स. *जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटीव मेडिसिन*. 8(1), पृष्ठ संख्या 1–2. https://doi.org/10.1016/j.jaim.2017.02.004 से प्राप्त किया गया है.

———. 2019. वर्ल्ड व्यू— इंडिया स्ट्राइक्स बैक अगेंस्ट प्रेडेटरी जर्नल्स. *नेचर*. 571, 7. https://www.nature.com/articles/d41586-019-02023-7 से प्राप्त किया गया है.

पर्लिन, एम. एस., इमास्तो, टी., और डी बोरेंसटीन. 2018. इज प्रेडेटरी पब्लिशिंग ए रियल थ्रीट? एविडेंस फ्रॉम ए लार्ज डाटाबेस स्टडी. *साईनटोमेट्रिक्स*. 116(1), पृष्ठ संख्या 255–273. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2750-6 से प्राप्त किया गया है.

बिआल, जे. 2017. रायटर्स फोरम— प्रेडेटरी जर्नल्स, पीयर रिव्यू एंड एजुकेशन रिसर्च. *न्यू होरिजोन्स इन अडल्ट एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट*. 29(1), पृष्ठ संख्या 54–58. 6 सितंबर, 2020 को https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/nha3.20173 से प्राप्त किया गया है.

मस्टन, वाय. बी., और ए. एस. ऐश्क्राफट. 2016. द डार्क साइड ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओपन एक्सेस वर्सेस प्रेडेटरी जर्नल्स. नर्सिंग एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स. 37(5), पृष्ठ संख्या 275–277. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1097/01. से प्राप्त किया गया है.

मानका, ए., मोहर, डी., एल. कगासी, जेड. देवीर, और एफ. देरियु. 2018. *हाउ प्रेडेटरी जर्नल्स लीक इन टू पबमेड. सीएमएजे*. 190 (35), E1042–E1045. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1503/cmaj.180154 से से प्राप्त किया गया है.

यू.जी.सी. केयर. 2021. यू.जी.सी. केयर की वेबसाइट. 24 जुलाई, 2021 को https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index से प्राप्त किया गया है.

रोबर्ट्स, जे. 2016. प्रेडेटरी जर्नल्स— थिंक बिफोर यू सबमिट. हेडेक— *द जर्नल ऑफ* हेड एंड *फेस पेन*. 56(4), पृष्ठ संख्या 618–621. https://doi.org/10.1111/head.12818 से प्राप्त किया गया है.

रोस-वाइट, ए., गॉडफ्रे, सी. एम., के. ए., सियर्स. और आर. विलसन. 2019. प्रेडेटरी पब्लिकेशन इन एविडेंस सिंथेसिस. *जर्नल ऑफ द मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन*. 107(1), पृष्ठ संख्या 57–61. https://doi.org/10.5195/JMLA.2019.491 से प्राप्त किया गया है.

श्याम, ए. 2015. प्रेडेटरी जर्नल्स— व्हाट आर दे? *जर्नल ऑफ ऑर्थोपोडिक केस रिपोर्ट्स*. 5(4), पृष्ठ संख्या 1–2. https://doi.org/10.13107/jocr.2250-0685.330 से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished